पुस्तक समीक्षा

शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)

पुस्तक — *शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)*

लेखक — आलोक मेहता

प्रकाशक — सामयिक बुक्स

प्रकाशन वर्ष — 2022

मूल्य — 495/-

ISBN — 8193674995

प्रभात कुमार*

शिक्षा लगातार मनुष्य के विचारों में संवर्धन तथा उसके परिष्करण का कार्य करती रहती है। यही संवर्धन एवं परिष्करण समयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन लाता है। यदि यह बदलाव समयानुसार न हो तो संसार के अनेक कार्यों को संपन्न करने में कठिनाई होती है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। इस नीति ने सभी हितधारकों को शिक्षा के विविध पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए उद्वेलित किया है। इसी उद्वेलन का परिणाम है— आलोक मेहता द्वारा रचित किताब शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद में दिखाई देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह किताब 192 पृष्ठ में लिखी गई है। भूमिका के साथ नौ अध्यायों तथा 121 संकेताक्षरों से युक्त यह किताब वर्ष 2022 में सामयिक बुक्स, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। लेखक भूमिका में बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को शिक्षा एवं जीवकोपार्जन का आधार बनाने को सर्वाधिक महत्व देती है। जाति, धर्म, क्षेत्रीयता से भावी पीढ़ी को ऊपर उठने में संस्कृत और भारतीय भाषाओं की भूमिका को नीति में दी गई जगह का उल्लेख भी भूमिका में है। 16 लाख विद्यालयों, 45 हज़ार महाविद्यालयों, 1000 विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ शिक्षकों तथा 35 करोड़ विद्यार्थियों वाली विशाल भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार नीति का चार भागों (पहला भाग 'स्कूल शिक्षा', दूसरा भाग 'उच्चतर शिक्षा', तीसरा भाग 'अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे' तथा चौथा भाग 'क्रियान्वयन की रणनीति') में बटे होने का उल्लेख भी भूमिका में उद्धृत किया गया है। चारों भागों से जुड़ी मुख्य बातों पर विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 'स्कूल शिक्षा' वाले भाग में '5+3+3+4' वाली नई पाठ्यचर्यात्मक अर्थात प्रथम पाँच वर्ष फाउंडेशनल

**व्याख्याता*, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर, बिहार 848504

स्टेज, तीन वर्ष प्रिपेरेटरी स्टेज, तीन वर्ष मिडिल स्टेज और चार वर्ष सेकेंडरी स्टेज पर लेखक अपना विचार रखते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुए भविष्योन्मुख बदलाव तथा नई बातों को समाहित करना, जैसे— आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, वैश्विक नागरिकता शिक्षा या डिजिटल शिक्षा से संबंधित बातों को भी भूमिका में जगह दी गई है। 'उच्चतर शिक्षा' वाले दूसरे भाग के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल मुख्य बातें इस प्रकार से हैं, जिन्हें भूमिका में उल्लेखित किया गया है— (1) वर्ष 2040 तक सभी 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना। (2) वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिला या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा। (3) स्नातक उपाधि की अवधि चार वर्ष की होगी। विद्यार्थी को कोर्स छोड़ने, बदलने और पुनः वापसी का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी। स्नातक उपाधि में एक वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पूरा करने पर डिग्री तथा चार वर्ष पूरा करने पर शोध सहित डिग्री देने की संकल्पना है। (4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी संरचना में 'व्हाट टू थिंक' पर फोकस के स्थान पर 'हाउ टू थिंक' को महत्व दिया गया है। (5) पीएच.डी. के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या चार वर्षों के शोध के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। (6) उद्योग-अकादमिक जुड़ाव सहित अंतर विषयक अनुसंधान, सामजिक अनुसंधान और नवाचार पर फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरे भाग अर्थात 'अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे' के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों को चिह्नित किया गया है, जो निम्नलिखित है— (1) श्रम के महत्व की स्थापना तथा उसके अनुभव के लिए किसानों एवं श्रमिकों के काम को भी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। (2) इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। (3) संस्कृत के प्रयोग और पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। (4) संकट की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग चार अर्थात 'क्रियान्वयन की रणनीति' में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) को सशक्त करने की बात की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को एक तय समय सीमा अर्थात 2035 तक लागू करने की बात भी है।

श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेखक बहुत अच्छा मानते हैं तथा 'शिक्षा की संस्कृति' अध्याय में कहते हैं कि भारत को और किसी चीज़ ने इतनी हानि नहीं पहुँचाई है जितनी इस अजीबो-गरीब और बेतुकी धारणा ने कि शारीरिक श्रम बुरा और प्रतिष्ठा कम करने वाला है तथा केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए है और उच्च वर्ग के लोगों को अपने हाथों से काम न करके, मानसिक और बौद्धिक काम करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक वेद कि उक्ति को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हम केवल भौगोलिक सीमा के आधार पर जानने या न जानने का निर्णय नहीं कर सकते। वेद उक्ति है—

आ ना भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः।

अर्थात सब दिशाओं से मिले शुभ ज्ञान।

लेखक पूर्व में देश की जगद्गुरु की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि पहले अध्ययन-अध्यापन के कार्य को तपस्या के रूप में देखा जाता था। 'छात्राणां अध्ययनं तपः' अर्थात

विद्यार्थी का तप अध्ययन है और 'नाहं विद्या-विक्रयं शासनशतेनापी करोमि' अर्थात सैकड़ों शासन का अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं विद्या-विक्रय नहीं करूँगा। लेखक उपर्युक्त छात्र दृष्टि और अध्यापक दृष्टि को पूर्व में जगद्गुरु की स्थिति का कारण मानता है। शिक्षक के प्रकार और शिक्षक के गुण पर भी लेखक अपना गंभीर विमर्श प्रस्तुत करते हैं। नाकोमौद्गल्य ऋषि को संदर्भित करते हुए लेखक निरंतर स्वाध्याय करने वाले अध्यापक को ही सही अर्थ में अध्यापक कहते हैं। कालिदास उस शिक्षक को धुरप्रतिष्ठा का अधिकारी मानते हैं, जो स्वयं ज्ञानी भी हो और ज्ञान के प्रसार की कला में भी कुशल हो। लेखक दो प्रकार के शिक्षक की बात करते हैं— (1) शिलाधर्मी गुरु; (2) आकाशधर्मी गुरु। शिलाधर्मी गुरु वह होता है, जो अपने विद्यार्थियों से कहता हो कि मैं जो कहता हूँ वही तुमको मानना पड़ेगा, वही सत्य है। हमारे यहाँ शिलाधर्मी गुरु त्याज्य और निंद्य माना जाता है। आकाशधर्मी गुरु प्रत्येक शिष्य को प्रकाश देता है, जिसकी जितनी क्षमता हो, वह उतनी विकसित भूमिका को अर्जित कर सके। आकाशधर्मी गुरुओं के द्वारा ही भारतवर्ष वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को निभा सकता है। 'दुर्लभः स गुरुर्लो के शिष्यचित्तापहारकः'— अर्थात आकाशधर्मी गुरु वह होता है, जो शिष्य की श्रद्धा अर्जित कर सके। लेखक गीता की पंक्ति— 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि, शिष्य का आधारभूत लक्षण है— ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रणी होना। शिक्षक की तेजस्विता तभी खंडित होने लगती है जब वह अपना ज्ञान बेचने लगता है।

लेखक ने प्रथम अध्याय में बताया है कि विद्यार्थी में बुद्धि से संबंधित सात गुण होने चाहिए, उन्होंने श्लोक के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है—

शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा।
उहापोहार्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धी गुणा॥

(1) विद्यार्थी में 'शुश्रूषा' अर्थात 'जानने और सुनने की इच्छा' होनी चाहिए। (2) विद्यार्थी में 'श्रवणं' अर्थात 'जानने की चेष्टा और जानने की क्रिया' होनी चाहिए। (3) विद्यार्थी में 'ग्रहणं' अर्थात 'जो कुछ आपको बताया गया है, वह आपको समझ में आना चाहिए' का गुण होना चाहिए। (4) विद्यार्थी में 'धारणं' अर्थात 'जो हम पढ़ें, उसे हम स्मरण रख सकें, धारण कर सकें' का गुण होना चाहिए। (5) विद्यार्थी को 'ऊहापोह' अर्थात ऊहापोह करना चाहिए, कोई चीज़ सही है तो क्यों है, कोई चीज़ गलत है तो क्यों? अंधश्रद्धा की बात नहीं होनी चाहिए। (6) विद्यार्थी में 'अर्थविज्ञानं' अर्थात सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। (7) विद्यार्थी में 'तत्वज्ञानं' अर्थात किसी विषय को पूर्णतः समझ लेने की क्षमता होनी चाहिए।

दूसरे अध्याय 'शिक्षा का विस्तार' में लेखक ने बताया है कि शिक्षा प्राचीनकाल से ही हमारी सोच के केंद्र में रही है। ग्यारहवीं शताब्दी के महान शासक राजा भोज द्वारा बनवाया गया सरस्वती मंदिर ज्ञान की इच्छा का ही दूसरा रूप है। भोजप्रबंध में उल्लेखित कुछ शब्दों के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि हमारी संस्कृति शिक्षा के प्रति कितनी सचेत रही है या राजा भोज शिक्षा के कितने अनुरागी थे।

विप्रोअपी यो भवेन्मूर्खः स पुराद्वहिरस्तु मे।
कुंभकारोअपि यो विद्वान्स तिष्ठतु पुरे मम॥

इसका अर्थ है, 'मेरे नगर में मूर्ख होने पर, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, न रहे। यदि कुम्हार भी है, पर ज्ञानी है, तो वह रहे। इस घोषणा का प्रभाव यह हुआ कि भोज की धारानगरी में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित और मूर्ख नहीं था। हमारी सांस्कृतिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्ध परंपरा

पर आधारित रही है। हमारी संस्कृति ज्योति की आराधना करने वाली संस्कृति है। मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की पहुँच भारतीय अंतिम जन तक संभव है और कैसे 70 देशों में मुक्त (खुला) विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं— इस बात पर लेखक गहन विचारों को प्रस्तुत करते हैं।

'अधिकार मिला, मंजिल की प्रतीक्षा' अध्याय में लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे सर्व शिक्षा अभियान ने न केवल 99 प्रतिशत बच्चों की प्राथमिक स्कूल में भागीदारी को बढ़ाया, बल्कि 3–4 प्रतिशत 6–14 वर्ष के बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने से भी रोका है। 2001 में प्रारंभ किए गए सर्व शिक्षा अभियान के लोगो, जिसमें एक बालक और बालिका एक पेंसिल के दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय की दीवारों पर देखा जा सकता है। इसने कैसे शिक्षा के विस्तार को वास्तविक रूप प्रदान किया, के सूक्ष्म विश्लेषण को लेखक ने प्रस्तुत किया है। वर्ष 2002 में हुए संविधान संशोधन द्वारा भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 21A के भाग 3 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा का विगत सालों में क्या प्रभाव पड़ा, इसका लेखक द्वारा विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया है। लेखक द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्यों को आठवें अध्याय में विस्तृत रूप से दिया गया है।

'परिशिष्ट' के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख अंशों को उल्लिखित किया गया है। वे अंश हैं— (1) उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। (2) अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण पर रोक लगाई जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किए जाएँगे। (3) सतत पेशेवर विकास के अंतर्गत शिक्षक को खुद में सुधार के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए प्रत्येक वर्ष 50 घंटों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। (4) कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। (5) 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। (6) ग्रेड 6–8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा डिजाइन किया जाएगा। (7) भारतीय साइन लैंग्वेज को भारत में मानकीकृत किया जाएगा। (8) उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान एवं गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को तैयार करने का प्रयास होगा। (9) सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। (10) देशभर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। (11) द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ॉर नॉलेज शेयरिंग अर्थात दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद पुस्तक में संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित बातों का विश्लेषण संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक जिस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषण से संश्लेषण तक की यात्रा करते हुए अपनी बात को रखते हैं, वह उनके लंबे अनुभव को दर्शाता है। यह पुस्तक शिक्षा से जुड़े हितधारकों के लिए एक सुगम संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती है।